

R-512/CE
12/04/18

डायरी नं० 409 दिनांक 10/4/18
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची
झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
संकल्प

पत्र प्राप्त
- 9 APR 2018
राँची

परीक्षा निमित्त
11/4/18

S.O. (Exam)
12/4/18

197/EC
12/04/18

विषय :- निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक-49) के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में एवं विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए निःशक्त जनों का आरक्षण।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 (वर्ष-1996 का संख्यांक-1)(केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 32 एवं 33 में अंकित प्रावधानों के सम्यक् कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा संकल्प सं०-5671, दिनांक-04.07.2016 निर्गत है, जिसके द्वारा निःशक्तता के विभिन्न प्रवर्गों के लिए अधोलिखित परिमाण में आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी, जिसका विनियमन क्षैतिज रूप से किया जाना था।

निःशक्तता का प्रवर्ग	आरक्षण प्रतिशत
(क) अंधापन/कम दृष्टि	- 1 प्रतिशत
(ख) बहरापन/श्रवण अशक्तता	- 1 प्रतिशत
(ग) शारीरिक अशक्तता/सेरेब्रल पाल्सी	- 1 प्रतिशत

निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक-49) पारित हो जाने के बाद दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश सम्बन्धी आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा किया जाना आवश्यक हो गया है। निःशक्त (दिव्यांग-जन) व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक-49) की धारा 32 एवं 33 में नियोजन तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से सम्बन्धित प्रावधान संक्षेप में निम्नवत है :-

I. अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थानों एवं सरकारी सहायता प्राप्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए 5 प्रतिशत सीट आरक्षित किया जाना है।

II. उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए संस्थान में प्रवेश की अधिकतम आयु में 5 वर्षों की छूट दी जानी है।

III. अधिनियम की धारा 33(i) के अनुसार सभी स्थापनाओं में विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की पहचान किया जाना है। अधिनियम की धारा 33(ii) पदों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना है और उप धारा (iii) के अनुसार इस प्रकार पहचान किये गये पदों की एक निश्चित समयावधि (3 वर्षों से अनाधिक) में समीक्षा की जानी है।

IV. कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशान मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं०-36035/02/2017-Estt(Res), दिनांक-15.01.2018 के आलोक में राज्य सरकार

154
114

को समाधान हो गया है कि निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक-49) के विभिन्न प्रावधान का कार्यान्वयन अब निम्न प्रकार किया जाएगा :-

1. निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक-49) की धारा 34 के अनुसार निःशक्तता के निम्न पाँच प्रकार के हैं :-

(क) अंधापन और कम दृष्टि

(ख) बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता

(ग) चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular Dystrophy)

(घ) स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या

(ङ) बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) में अंकित निःशक्तता/निःशक्तताओं के मिलने से बनी स्थिति यथा अंधापन एवं बहरापन, अंधापन एवं बहरापन के साथ-साथ चलन निःशक्तता।

2. प्रभाव एवं विस्तार :-

दिव्यांग जन आरक्षण की निम्न व्यवस्था संकल्प के जारी होने की तिथि से लागू समझी जाएगी।

3. आरक्षण की मात्रा :-

(क) शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए :-

निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग-जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक-49) की धारा 32(1) के तहत उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थानों एवं सरकारी सहायता प्राप्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यचर्या में दिव्यांग-जनों के लिए निम्न प्रकार 5 प्रतिशत सीट आरक्षित किया जायेगा :-

निःशक्तता का प्रवर्ग		आरक्षण प्रतिशत
(क)	अंधापन और कम दृष्टि	1
(ख)	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	1
(ग)	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular Dystrophy)	1
(घ)	स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी	1
(ङ)	बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है	1

lll

(113) (153)

उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए संस्थान में प्रवेश की अधिकतम आयु में 5 वर्षों की छूट दिये जाने की व्यवस्था की जानी है।

(ख) सरकारी सेवाओं के नियोजन के मामले में :-

निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांगजन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक-49) की धारा-34(i) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में संवर्ग बल के अधीन रिक्त पदों की कुल संख्या का 4 प्रतिशत पद दिव्यांग-जनों के लिए निम्नांकित रूप में आरक्षित किया जायेगा :-

निःशक्तता का प्रवर्ग		आरक्षण प्रतिशत
(क)	अंधापन और कम दृष्टि	1
(ख)	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	1
(ग)	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular dystrophy)	1
(घ)	स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या	1
(ङ)	बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है	

4. दिव्यांगता प्रमाण पत्र :-

निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग जन) अधिकार अधिनियम-2016 के अधीन आरक्षण का दावा सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित करने पर उपलब्ध होगा। आरक्षित सीट के विरुद्ध चयनित होने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित रीति से सत्यापन/पुनर्सत्यापन कराया जा सकता है।

5. शिक्षण संस्थानों में नामांकन या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या का परिकलन :-

5.(क) शिक्षण संस्थानों में नामांकन :- प्रत्येक संस्थान में विषयवार नामांकन के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर दिव्यांगता से ग्रसित छात्रों के लिए उपर्युक्त कंडिका 3(क) के अनुसार आरक्षण उपलब्ध होगा।

यदि कोई संस्थान, किसी विषय में सभी प्रकार की निःशक्तता या दिव्यांगता या किसी विशेष प्रकार की निःशक्तता या दिव्यांगता से ग्रसित छात्रों का नामांकन, शिक्षा के योग्य नहीं पाये तो वह संस्थान, दिव्यांग आरक्षण से मुक्त रखने के लिए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव भेजेगा, जो राज्य निःशक्तता आयुक्त से समुचित परामर्श प्राप्त कर समुचित निर्णय अधिसूचित करेगा।

5.(ख)(i) ग्रुप 'ग' (Group C) के पदों के लिए किसी भी स्थापना के सम्पूर्ण संवर्ग बल को आधार बनाकर बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या परिकलित की

15
112

3

जाएगी, जबकि नियुक्ति उन्हीं पदों के विरुद्ध होगी जो दिव्यांग व्यक्ति के नियुक्ति के योग्य पाये जाएं, जिसकी पहचान विभाग द्वारा की गयी हो।

तात्पर्य यह है कि दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या नियोजन के लिए विज्ञापित कुल रिक्ति के अनुसार होगी, जबकि नियुक्ति केवल उन्हीं पदों के विरुद्ध होगी, जो पद बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रसित व्यक्तियों के नियुक्ति के योग्य पहचाने गये हों। इस प्रकार यह संभव है कि चूँकि बेंचमार्क निःशक्तता से ग्रसित व्यक्ति के लिए अचिन्हित/चिन्हित पदों की कुल रिक्ति पदों के आधार पर आरक्षण निर्धारित की जाएगी, और नियुक्ति सिर्फ बेंचमार्क निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों के विरुद्ध ही किया जा सकेगा, इसलिए निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों की रिक्तियों में आरक्षण की मात्रा उपर्युक्त कंडिका 3(ख) में यथानिर्धारित 4 प्रतिशत से अधिक भी हो सकती है।

5.(ख)(iii) ग्रुप 'क' एवं ग्रुप 'ख' के मामले में बेंचमार्क निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण सीधी भर्ती के लिए संवर्गवार उपलब्ध रिक्ति के आधार पर निर्धारित होगा।

सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्ति निःशक्तों के लिए चिन्हित या गैर चिन्हित पदों की कुल संख्या के आधार पर तय होगी।

यदि कोई विभाग, किसी संवर्ग विशेष के पदों या उसके किसी भाग को निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के नियोजन के लिए उपयुक्त नहीं पाये तो संबंधित विभाग, पूर्ण औचित्य के साथ महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सम्पूर्ण संवर्ग/संवर्ग के किसी भाग को दिव्यांग आरक्षण के प्रभाव से मुक्त रखने का प्रस्ताव प्रेषित करेगा। प्रस्ताव प्राप्त होने पर महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग निःशक्तता आयुक्त से समुचित परामर्श कर समुचित निर्णय अधिसूचित करेगा।

6. आरक्षण रोस्टर का गठन एवं रोस्टर का संधारण :-

6.1 प्रत्येक स्थापना/नियुक्ति प्राधिकार अपने नियंत्रणाधीन संवर्ग के कुल स्वीकृत बल के आधार पर दिव्यांग-जनों के अनुमान्य आरक्षण का निर्धारण 1-100 बिन्दुओं के चक्र में करेंगे। 100 बिन्दुओं के प्रत्येक चक्र में चार ब्लॉक निम्न रूप में रहेंगे :-

ब्लॉक	बिन्दु से बिन्दु तक	निःशक्तता के अनुमान्य प्रवर्ग
1.	1-25	अंधापन या कम दृष्टि/प्रवर्ग-क
2.	26-50	बहरापन या श्रवण निःशक्तता/प्रवर्ग-ख
3.	51-75	चलन निःशक्तता/प्रवर्ग-ग
4.	76-100	स्वलीनता एवं बहु निःशक्तता/प्रवर्ग घ और ड

6.2 100 बिन्दुओं का चक्र पूरा होने के बाद, सौ बिन्दुओं का अगला चक्र आरम्भ होगा। आरक्षण रोस्टर का प्रपत्र संलग्न है।

6.3 दिव्यांग आरक्षण रोस्टर की बिन्दु सं 1, 26, 51 एवं 76 क्रमशः उपर्युक्त कंडिका 6.1 के विभिन्न प्रवर्गों के लिए निश्चित (Earmarked) रहेंगे। प्रत्येक स्थापना के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि क्रमांक 1, 26, 51 एवं 76वां पद संबंधित प्रवर्ग के लिए आरक्षित हों।

lll

- 6.4 सभी रिक्ति, रोस्टर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, चाहे वह बेंचमार्क निःशक्तता के लिए आरक्षित हो या नहीं।
- 6.5 यदि रोस्टर रजिस्टर का बिन्दु क्रमांक 1, 26, 51 एवं 76 बेंचमार्क निःशक्त व्यक्ति से नहीं भरे जा सके तो बिन्दु 2 से 25, 27 से 50, 52 से 75 एवं 77 से 100 के बीच किसी भी बिन्दु पर चयनित बेंचमार्क निःशक्त व्यक्ति को सामंजित किया जाएगा। अर्थात् प्रथम सुयोग्य रिक्त पद पर विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्ति को रखा जाएगा।
- 6.6 यह संभावित है कि रोस्टर बिन्दु 1 से 25 पद सुयोग्य बेंचमार्क निःशक्त व्यक्ति से भरी न जा सके, तो 26 से 50 के लिए या क्रमशः शेष 51 से 75 या 76 से 100 में से भरी जाएगी। अर्थात् रिक्तियाँ अगली ब्लॉक के लिए अग्रणीत किए जा सकते हैं।
- 6.7 स्थापना के विभागाध्यक्ष रिक्त पदों की प्रकृति के अनुसार विशिष्ट बेंचमार्क निःशक्त के प्रतिनिधित्व के आधार पर रोस्टर बिन्दुओं में सामंजन करेंगे।
- 6.8 स्थापना के प्रभारी, रोस्टर क्लियरेंस की संचिका में दिव्यांग जन आरक्षण रोस्टर, विहित प्रपत्र में विहित रीति से तैयार कर क्लियरेंस हेतु प्रस्तुत करेंगे।
7. सीधी भर्ती में दिव्यांग जन आरक्षण की अदला-बदली एवं आरक्षण का अग्रणयन:-
- 7.1 बेंचमार्क निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति की नियुक्ति यदि सुयोग्य उम्मीदवार के अभाव में किसी नियुक्ति वर्ष में नहीं की जा सके, तो, बाद के नियुक्ति वर्ष में आरक्षण का अग्रणयन किया जाएगा। यदि अगले नियुक्ति वर्ष में सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो, पहले बेंचमार्क निःशक्तता के विभिन्न चार प्रवर्गों के बीच आरक्षण का अदला-बदली किया जाएगा।
- 7.2 नियुक्ति वर्ष के अगले नियुक्ति वर्ष में यदि सुयोग्य बेंचमार्क निःशक्तता व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो, तो, विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर निःशक्तता से भिन्न व्यक्तियों से आरक्षित पद भरे जा सकते हैं।
- 7.3 रिक्तियों की अदला-बदली के प्रस्ताव में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 7.4 यदि बेंचमार्क निःशक्तता के लिए आरक्षित पद नियुक्ति वर्ष या अगली नियुक्ति वर्ष में नहीं भरे जा सके तो, ऐसे रिक्ति अगली चक्र के लिए बैकलॉग रिक्ति के रूप में अग्रणीत किए जा सकेंगे।
- 7.5 अगली नियुक्ति वर्ष में बैकलॉग आरक्षित रिक्ति, बेंचमार्क निःशक्तता के संबंधित प्रवर्ग के लिए आरक्षित समझे जायेंगे।
- बैकलॉग आरक्षित रिक्ति अगली दो नियुक्ति वर्ष तक अग्रणीत होते रहेंगे। इसके बावजूद अगर सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो, बेंचमार्क निःशक्त व्यक्ति के लिए आरक्षित रिक्ति व्ययगत (Lapse) माना जाएगा।
- 7.6 सरकारी स्थापना, रिक्तियों की अदला-बदली तभी कर सकेंगे, जब प्रस्तावित नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त हो गयी हो।
- 7.7 बैकलॉग रिक्तियों में, जो पहले उत्पन्न हुई है, उसे पहले भरी जाएगी। बाद के बैकलॉग रिक्ति उसके बाद भरी जाएगी।

110/16

8. बेंचमार्क निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए क्षैतिज आरक्षण :-

8.1 बेंचमार्क निःशक्तता आरक्षण क्षैतिज रूप से आरक्षण रोस्टर में सामंजित होती है। पिछड़ापन के आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण वर्गवार होता है यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1 एवं पिछड़ा वर्ग-2। इसे उदग्र आरक्षण भी कहा जाता है। किन्तु बेंचमार्क निःशक्तता समाज के सभी वर्गों में व्याप्त हो सकता है यथा अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1 एवं पिछड़ा वर्ग-2, इसलिए चयनित बेंचमार्क निःशक्त जन जिस वर्ग से आते हों, उन्हें उसी वर्ग में रखा जाना है।

यदि किसी पद विशेष के लिए 25 रिक्ति विज्ञापित हो, तो पिछड़ापन के आधार पर रिक्ति की अनुमान्यता निम्न प्रकार होगी :-

रिक्ति अना0	अ0ज0जा0	अ0जा0	अ0पि0व0	पि0व0	
25	13	06	03	02	01

निःशक्त जन अनुमान्य आरक्षण की रिक्ति-01(प्रवर्ग-अंधापन/कम दृष्टि)

तो आरक्षण का समायोजन निम्न प्रकार होगा-

(i) यदि बेंचमार्क निःशक्त (अंधापन/कम दृष्टि) का कोई उम्मीदवार सामान्य मेधा सूची में चयनित हो, तो उसे मेधा द्वारा चयनित माना जाएगा।

अंधापन या कम दृष्टि के लिए आरक्षित रिक्ति, सामान्य मेधा सूची के कट-ऑफ से नीचे मार्क्स वाले अंधापन/कम दृष्टि के लिए बेंचमार्क निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति का चयन किया जाएगा।

(ii) यदि चयनित व्यक्ति अनारक्षित वर्ग से हो, तो सामान्य मेधा सूची में अंतिम एक व्यक्ति को हटाकर निःशक्त व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) यदि चयनित व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग का हो, तो संबंधित वर्ग के मेधा सूची में अंतिम व्यक्ति को निःशक्त व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) अगर चयनित व्यक्ति, जिस वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग) का हो, और उसके लिए रिक्ति उपलब्ध नहीं हो, तो संबंधित वर्ग में प्रथम रिक्ति उपलब्ध होने पर सामंजित किया जाएगा।

9. आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्रा :- केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो, कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे, अनुबंध-1 में दिए गए प्रारूप में राक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :- अधिनियम-2016 की धारा 57 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त निःशक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य होगी।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग उक्त अधिनियम की सुसंगत धारा (धारा 57) के अन्तर्गत क्षेत्रवार प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत पदाधिकारी की

सूची जारी करेगा जो आम लोगों के जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित रहेगा।

11. आयु सीमा में छूट :- विभिन्न प्रकार के निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के नामांकन में आयु सीमा में छूट का निर्धारण उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा किया जायेगा, जबकि सेवा में प्रवेश की आयु में छूट का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जायेगा।
12. परीक्षा शुल्क एवं आवेदन शुल्क में छूट :- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग दिव्यांग-जनों के लिए यथा निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं आवेदन शुल्क में छूट देने का उपबंध कर सकती है।
13. रिक्तियों का संसूचन:- दिव्यांग-जनों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नियुक्ति पदाधिकारी को निम्नलिखित बातों का विशेष ख्याल रखना होगा :-
 - (क) रिक्त के संसूचन में कुल स्वीकृत बल, कुल रिक्तियाँ, उदग्र आरक्षण यथा अनारक्षित (गैर आरक्षित), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-। एवं पिछड़ा वर्ग-।। की कोटिवार रिक्तियों के अतिरिक्त दिव्यांग-जनों के लिए रिक्त पदों पर आधारित अनुमान्य आरक्षण भी संसूचित किया करेंगे।
 - (ख) रिक्त पद के लिए निःशक्तता के विभिन्न प्रवर्गों की उपयुक्तता को स्पष्ट किया जाना चाहिए अर्थात् यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन पदों के विरुद्ध किसी खास प्रवर्ग/विनिर्दिष्ट प्रवर्ग या सभी प्रवर्गों के लिए आरक्षण अनुमान्य है अथवा नहीं।
 - (ग) निःशक्तता के लिए न्यूनतम शारीरिक क्षमता का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
 - (घ) यह भी उल्लेख रहना चाहिए कि विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों को दिव्यांग-जन आरक्षण की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
14. दिव्यांग-जन आरक्षण के लिए संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार, नोडल पदाधिकारी रहेंगे।
15. दिव्यांग-जन आरक्षण के लिए उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन के लिए नोडल पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। कार्यान्वयन में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए नियुक्ति प्राधिकार/नोडल पदाधिकारी अधिनियम की धारा-89 के तहत आर्थिक दण्ड के भागी होंगे।
16. जो व्यक्ति धोखाधड़ी से बेंच मार्क निःशक्त को उपलब्ध लाभों को पाने का प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

Alahata
02/04/18
(एस0 के0 जी0 रहाटे)
सरकार के प्रधान सचिव।

148
108

ज्ञापांक-14/आ0नी0-04-05/2016 का०. 2249 /राँची, दिनांक. 3.4.18
प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई-गजट कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,
झारखण्ड, राँची को ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

Mohapatra
02/04/18

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/आ0नी0-04-05/2016 का०. 2249 /राँची, दिनांक. 3.4.18
प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/झारखण्ड
संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्वद, राँची/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, राँची/सरकार के
सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड,
राँची/सचिव, झारखण्ड विधानसभा/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी स्थानीय
निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्वदों को अविलम्ब सूचना करा दें।

Mohapatra
02/04/18

सरकार के प्रधान सचिव।

147

107

अनुबन्ध- 1

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र सं.

तारीख

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु लिंग पहचान चिन्ह
..... निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त -

- क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)
- (I) दोनों टांगे (बी एल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
- (II) दोनों बाहें (बी एल) - दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
- (III) दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) - दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित
- (IV) एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (V) एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)
- (VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)
- (VII) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।
- ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि
- (i) बी-अंधापन
- (ii) पी बी - आंशिक रूप से अंधता
- ग. कम सुनाई देना
- (i) डी - बधिर
- (ii) पी डी - आंशिक रूप से बधिर
- (उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/ गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात् पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत है।

4. श्री/ श्रीमती/ कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/ करती है :-

- (i) एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/ सकती है।
हाँ/ नहीं
- (ii) पी पी - धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/ सकती हैं। हाँ/ नहीं
- (iii) एल - उठाने के जरिए कार्य कर सकते/ सकती हैं।
हाँ/ नहीं
- (iv) के सी - घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/ सकती हैं। हाँ/ नहीं
- (v) बी - झुक कर कार्य कर सकते/ सकती हैं।
हाँ/ नहीं
- (vi) एस - बैठकर कार्य कर सकते/ सकती हैं।
हाँ/ नहीं
- (vii) एस टी - खड़े होकर कार्य कर सकते/ सकती हैं।
हाँ/ नहीं
- (viii) डब्ल्यू - चलते हुए कार्य कर सकते/ सकती हैं।
हाँ/ नहीं
- (ix) एस ई - देख कर कार्य कर सकते/ सकती हैं।
हाँ/ नहीं
- (x) एच - सुनने/ बोलने के जरिए कार्य कर सकते/ सकती हैं।
हाँ/ नहीं
- (xi) आर.डब्ल्यू - पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/ सकती हैं।
हाँ/ नहीं

(डॉ)
सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डॉ)
सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डॉ)
अध्यक्ष
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित,
(मुहर सहित)

❖ जो लागू न हो काट दें।

निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर

105 145

अनुबन्ध-11

भर्ती का वर्ष	साईकिल सं. और पॉइन्ट सं.	पद का नाम	क्या निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पद उपयुक्त पाया गया			अनारक्षित अथवा आरक्षित	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	क्या नियुक्त किया गया व्यक्ति दृ.व. / व. / शा. वि. अथवा इनमें से कोई नहीं	अभ्युक्तियां यदि कोई हो
			दृ.वि.	व.	शा. वि.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

'यदि आरक्षित पहचाने गए हो तो लिखें दृ.वि./व./शा.वि. जैसा भी मामला हो, अन्यथा लिखें अनारक्षित।

"लिखें दृ.वि./व./शा.वि. अथवा इनमें से कोई नहीं, जैसा मामला हो।"

""दृ.वि./व./शा.वि. का आशय दृष्टि विकलांग, बधिर और शारीरिक विकलांग से है।